न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– अक्षत कुमार सिंह (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
408/2023	22.12.2023	03-10-2025

उनवान

श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र सोहन सिंह राजपूत, निवासी काणोली, तहसील व जिला भीलवाड़ा।

—— प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा राज0

—— विपक्षी

उपस्थितः–

1. **अधिवक्ता प्रार्थी की और से श्री दिनेश कुमार जोशी उपस्थित।**
2. **विपक्षी संख्या 01 की और से पैराकार सरकार।**

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम काणोली, पटवार हल्का गठिलाखेड़ा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटुण, तहसील भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा के जमाबंदी सम्वत 2057 से 2060 के खाता संख्या 87 में आराजी नम्बर 393, 396, 397, 398, 399 कुल कीता 05 कुल रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा एवं खाता संख्या 124 में आराजी संख्या 13, 323, 392, 394, 400, 403, 404, 406, 407, 413 कुल कीता 10 कुल रकबा 34 बीघा 19 बिस्वा एवं खाता संख्याा 426 में आराजी संख्या 321, 395, 410 कुल कीता 03 कुल रकबा 13 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी के नाम पर संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात जो पूर्व में प्रार्थी के पति सोहनसिंह पुत्र नन्दसिंह राजपुत के नाम पर दर्ज रेकॉर्ड थी तथा प्रार्थी के पिता सोहनसिंह जी की मृत्यु के उपरान्त उक्त आराजियात का विरासत से नामान्तकरण प्रार्थी व उसके वारिसानो के नाम पर खोला गया, जिसमें प्रार्थी का बोलता नाम गज्जुसिंह अंकित कर दिया है, जबकि प्रार्थी का सही नाम गजेन्द्रसिंह है, किन्तु त्रूटिवश राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गजेन्द्रसिंह के बजाय गज्जुसिंह अंकित हो गया है। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशनकार्ड व गाडी की आरसी में प्रार्थी का नाम गजेन्द्रसिंह अंकित है किन्तु त्रूटिवश व भुलवश प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजियात के राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गज्जुसिंह अंकित हो गया है, जिसे दुरूस्त किया जाकर प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गज्जुसिंह के बजाय गजेन्द्रसिंह अंकित किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम काणोली, पटवार हल्का गठिलाखेड़ा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटुण, तहसील भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा के जमाबंदी सम्वत 2057 से 2060 के खाता संख्या 87 में आराजी नम्बर 393, 396, 397, 398, 399 कुल कीता 05 कुल रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा एवं खाता संख्या 124 में आराजी संख्या 13, 323, 392, 394, 400, 403, 404, 406, 407, 413 कुल कीता 10 कुल रकबा 34 बीघा 19 बिस्वा एवं खाता संख्या 426 में आराजी संख्या 321, 395, 410 कुल कीता 03 कुल रकबा 13 बिस्वा भूमि के वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गज्जुसिंह के बजाय गजेन्द्रसिंह अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 22.12.2023 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये। प्रकरण में विपक्षी संख्या 01 तहसीलदार भीलवाड़ा का जवाब पत्रांक 3048 दिनांक 03.09.2025 से प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार ग्राम काणोली, पटवार हल्का गठिलाखेड़ा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटुण, तहसील भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 2, 3 व 24 के वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गज्जुसिंह के बजाय गज्जुसिंह उर्फ गजेन्द्रसिंह संशोधित किया जाने की अनुशंषा की जाती है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस विपक्षी पैराकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया ग्राम काणोली, पटवार हल्का गठिलाखेड़ा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटुण, तहसील भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 2, 3 व 24 के वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी के नाम गज्जुसिंह के बजाय गज्जुसिंह उर्फ गजेन्द्रसिंह अंकित किए जाना आवश्यक है। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजात का भलिभांति परीक्षण किया गया। तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार गज्जुसिंह उर्फ गजेन्द्रसिंह संशोधित किये जाने की अनुशंषा की गई है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

-:आदेश :-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार कि ग्राम काणोली, पटवार हल्का गठिलाखेड़ा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटुण, तहसील भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 2, 3 व 24 के वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी के नाम गज्जुसिंह के बजाय **गज्जुसिंह उर्फ गजेन्द्रसिंह** इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में संशोधन का इन्द्राज कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 03-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया गया है।

(अक्षत कुमार सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा